eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

भारत में घरेलू हिंसाः कारण एवं निवारण

[1]प्रो0 (डॉ0) लक्ष्मीना भारती
[1]राजनीति विज्ञान विभाग, डा0भी0रा0अ0 राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

एक सभ्य समाज में घरेलू हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, किन्तु यह बिडम्बना ही है कि न केवल भारत अपितु विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो इस अभिशाप से अछूत हो। घरेलू हिंसा दुनिया के हर समाज में व्याप्त है। इस शब्द का विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रान्सजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं।

शब्द संक्षेप– भारतीय समाज, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, महिला अधिकार एवं महिला सशक्तीकरण।

Introduction

घरेलू हिंसा के अंतर्गत पीड़ित को शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरायत बनती जा रही है। हमारे देश में बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों में बल्कि विकसित देशों में भी भयावह रूप में व्याप्त है।

भारत में घरेलू हिंसा विभिन्न रूपों में देखने में आती है–

- महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– भारत में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा बहुत ही व्यापक रूप में दिखाई देती है। इसके अंतर्गत किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे– मारना–पीटना, धक्का देना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक कष्ट देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी उसकी इच्छा के विरूद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि।
- बच्चों के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– भारतीय समाज में केवल महिलाओं के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं होता है अपितु बच्चों एवं किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के बाद बच्चे एवं किशोर सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं।
- बुजुर्गों के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यंत संवेदनशील होती जा रही है जो घर के बूढ़े–बुजुर्गों के साथ परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें बुजुर्गों के साथ मार–पीट करना, उनसे अत्यधिक काम लेना, भरपेट भोजन न देना, बासी एवं जूठा भोजन देना, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- ❖ पुरुषों के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– भारत में केवल महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ही घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हैं बल्कि इस भौतिकतावादी युग में पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार बन रहे हैं जिसमें निरन्तर इजाफा हो रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

घरेलू हिंसा के कारण :– यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन–शोषण का शिकार। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का सबसे मुख्य कारण है पुरुषों की मूर्खतापूर्ण मानसिकता जिसके कारण पुरुष महिलाओं को शारीरिक, और मानसिक रूप से अपने से कमजोर एवं निम्न मानता है।

- ❖ प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना उसके साथ यौन सम्बंध बनाने से इंकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताएं बिना घर से बाहर जाना, मनपसंद खाना न बना पाना शामिल है।
- ❖ भारत में शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है जिससे प्रायः मनुष्य का व्यवहार हिंसक एवं अनैतिक हो जाता है।
- ❖ विवाहेत्तर सम्बंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी घरेलू हिंसा का कारण होता है।
- ❖ बच्चों एवं किशोरों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना करना, पढ़ाई पर ध्यान न देना, बड़ों के साथ बहस एवं बद्तमीजी से पेश आना, समय पर घर न आना, झूठ बोलना, गलत रास्ते पर चलना इत्यादि।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परम्पराओं का पालन न करना। गरीब परिवारों में कई बार आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों को बेचने एवं बच्चों के अंग बेचने के मामले भी आते हैं।
- ❖ वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा में बूढ़े माता–पिता के खर्चों को न झेल पाना, बड़े पद पर पहुँचने पर माता–पिता को लेकर समाज में असहज महसूस करना, उनके रहन–सहन को लेकर असहज होना। कभी–कभी सम्पत्ति के लिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।
- ❖ पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, घरेलू कार्यों में मदद न करना, पत्नी के परिवार वालों को गाली देना, पुरुषों का बाँझपन, बच्चों के पालन–पोषण में सहयोग न कर पाना इत्यादि।

घरेलू हिंसा का प्रभाव :– घरेलू हिंसा का सबसे दुखद और खतरनाक प्रभाव यह होता है कि जिन रिश्तों पर असीम भरोसा होता है वहीं पर छल और दुःख मिलता है जिससे व्यक्ति का रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला महसूस करता है और कई बार तो व्यक्ति आत्म हत्या के लिए मजबूर हो जाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति प्रायः मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जहाँ पीड़ित मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो प्रायः उसके जीवन में डर एवं निराशा घर कर जाती है और उससे मुक्त हो जाने पर भी सामान्य जीवन शैली में वापस लौटना उसके लिए वर्षों का सफर हो जाता है।
- घरेलू हिंसा का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है। प्रायः ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग, चिड़चिड़े, गुस्सैल, हिंसक तथा कई बार बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिससे उनका शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास प्रभावित होता है।
- बालिकाएं प्रायः डर एवं भय से ग्रसित हो जाती हैं। साथ ही अन्य बच्चों के साथ घुलने–मिलने में संकोच करती हैं जिससे उनका सामाजिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।
- ऐसे बच्चों में संस्कार गलत पड़ जाते हैं जो समाज, परिवार एवं उनके स्वयं के लिए घातक है।

रोकने के उपाय :–

- घरेलू हिंसा रोकने लिए सरकार ने महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधि0 2005 को लाया है जिससे इन्हें सुरक्षा देकर घरेलू हिंसा से बचाया जा सके।
- इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य अधि0 2017 द्वारा भारत में मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को सहयोग कर इससे उबरने में सहायता की जाती है।
- सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य ऐसी पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।
- महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए 'वोग इण्डिया' ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ने 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया। जो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ निपटने के लिए निजी स्तर पर किये गये सफल प्रयास थे।
- पुरुषों को अपनी मानसिकता भी बदनी होगी और महिलाओं को अपने घरों में सम्मान व बराबरी का स्थान देना होगा।
- महिलाओं को भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा जिससे घरेलू हिंसा के प्रति उचित एवं यथासमय कार्यवाही की जा सके।
- माता–पिता को भी अपनी संतानों की परवरिश में भेदभाव समाप्त कर अच्छे संस्कारों के साथ लड़के एवं लड़कियों की परवरिश करनी होगी।
- समाज में व्याप्त घरेलू हिंसा को रोकने के लिए पुरुषों को भी आगे बढ़कर सहयोगी बनना होगा जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- बेटे एवं बहू दोनों को ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान एवं आदर का भाव विकसित करना होगा जिससे बुजुर्ग परिवार मान–सम्मान के साथ जीवन जी सकें।
- स्कूल एवं कॉलेजों में भी विभिन्न माध्यमों से घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
- स्कूल एवं कॉलेजों में इसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चे अपनी बात अपने गुरू से कह सकें और उन्हें यथासम्भव सहायता मिल सके।

सन्दर्भ ग्रंथ–

1. विक्रम शेखावत– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, शेखावत लॉ हाऊस, 2001
2. डॉ0 नीरल कुमार राय– महिला हिंसा, ब्लू बक पब्लिकेशन्स, 2016
3. भावना वर्मा, डी0के0 दीक्षित, निधि सैनी–घरेलू हिंसाः समस्या और समाधान, आमना प्रकाशन, 2010
4. दैनिक जागरण–25 फरवरी 2013
5. दैनिक जागरण–26 अप्रैल 2013
6. दैनिक जागरण–21 जनवरी 2022